न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी एवं सदस्य राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 I/निगरानी/टीकमगढ़/स्टाम्प अधि./2017/3564

दिलीपसिंह तनय शिवकरनसिंह आयु 46 वर्ष निवासी रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास, कालू कुंआ चौराहा बांदा उ.प्र.

––पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1–म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

2–म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल म.प्र.

––उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 प्रतिकूल आदेश दिनांक 11/07/2017 अधीनस्थ विद्वान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प टीकमगढ म.प्र. के प्रकरण कमांक 32/बी–103/2016–17

महोदय,

पुनरीक्षण के आधार व कारण निम्न प्रकार है :–

1– यह कि ग्राम लार खुर्द, किटाखेरा, मांची, पनयाराखेरा, केशवगढ रामनगर, पिपरट घाट, भडारी, उपरारी, गुडानदी, टीला नरैनी, पठारी, उपरारा, करीला, खेरा विजयपुर, कूबरी, संजयनगर, महेवा चक नंबर–3, टपरियन चौहान, खरीला, नारायणपुर, मडोरी, बीरपुरा, दांतगोरा, सहित अन्य ग्रामों मे स्थित रेत का खनन किये जाने के लिये खान एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 की धारा 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना सा.क.नि. 538(अ) नई दिल्ली दिनांक 6 जुलाई 2015 केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अनुसरण मे, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित संस्थानो को अधिसूचना करती है, अर्थात–

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/स्टा.अधि./2017/3564 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.01.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में रेत विक्रय हेतु अनुबंध म0प्र0 स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के प्रबंध संचालक द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 01.08.2009 को 100/– रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था। उक्त दस्तावेत अपंजीबद्ध था। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किए गए निरीक्षण में उक्त प्रकरण संज्ञान में आने से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा यह मानते हुए कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा–17 के तहत उक्त दस्तावेज का पंजीयन अनिवार्य है। उनके द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज को अनुबंध–पत्र न होकर रेत उत्खनन एवं विक्रय हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने तथा रॉयल्टी का उल्लेख होने से पट्टे की श्रेणी में मानते हुए अनुच्छेद–38 के अनुसार स्टाम्प शुल्क की गणना प्रकरण में की है। तथा 55,11,786/– रुपये कुल देय शुल्क आवेदक को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	